UPHR010041022024

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, हरदोई

सत्र वाद सं०–974/2024

सरकार.....बनाम.....दिलीप आदि।

दिनांक : 14.10.2024

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर अभियुक्त कुलदीप एवं मेवलाल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जो केवल आज के लिए स्वीकृत किया गया। शेष अभियुक्त जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उक्त प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण दिलीप, मेवालाल, कुलदीप की ओर से निम्न अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 308 भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता है। संकलित साक्ष्य के आधार पर अधिकतम धारा 452,323,504,506 भा०दं०सं० का अपराध बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथानक तथा चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास है। मजरूब सुखराम की चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांक 28.10.2023 व एक्सरे रिपोर्ट दिनांक 01.11.2023 व पूरक रिपोर्ट दिनांक 17.02.2024 के अनुसार चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा मजरूब सुखराम के शरीर पर धारदार हथियार अथवा आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं पायी गयी और न ही चिकित्सक की राय में प्राणघातक चोटें मौजूद थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट, मजरूब व तमाम साक्षीगणों के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया है। विपक्षीगण की बहन व मजरूब के मध्य घूरा डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें विपक्षीगण की बहन ने मु०अ०सं० 436/2023 अंतर्गत धारा 34,323,504,506 भा०दं०सं० थाना माधौगंज पर पंजीकृत कराया था। विपक्षीगण की बहन की तरफ से पंजीकृत कराए गए मुकदमे में दबाव बनाने के लिए मजरूब सुखराम द्वारा पुलिस से सांठगांठ कर अभियुक्तगण के विरूद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से धारा 308 भा०दं०सं० के तत्व मौजूद नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण का विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त मुकदमे को विचारण हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र संलग्न किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं तथा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं हुआ है। मजरूब को दराती से मारने का कथन किया गया है, किन्तु दराती की चोट मजरूब के नहीं आयी है। सभी साक्षियों द्वारा अपने बयानों में मारने का कथन किया गया है। अतः उन्मोचन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क किया गया कि मजरूब सुखराम के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी हैं –फटा हुआ घाव 2.0 X0.3 सेमी० के आकार का बायीं तरफ सिर के पैराइटल रीजन में 06 सेमी० ऊपर बायीं भौं के एवं दर्द की शिकायत पूरे सिर के रीजन में। चिकित्स की राय के अनुसार उक्त चोट को एक्सरे कराने की सलाह दी गयी। चोट की अवधि ताजी थी तथा कठोर कुन्दालय से आना पाया गया। मजरूब का एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट में मजरूब के स्कल के फ्रण्टल बोन में फ्रैक्चर पाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामित हैं। अतः उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामित हैं। विवेचना के दौरान साक्षीगण एवं मजरूब द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा मारने पीटने का कथन किया गया है। चिकित्सीय आख्या में मजरूब के सिर में चोट पायी गयी है तथा एक्सरे रिपोर्ट में मजरूब के स्कल के फ्रण्टल बोन में फ्रैक्चर पाया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण दिलीप, मेवालाल, कुलदीप की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा धारा 251 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किए जाने आरोप दिनांक 22.10.2024 को पेश हो।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2024.10.14 16:21:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court